



XXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगो ३३ एवं ३४-दो / १०

जिला – मिठ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
११.८.१९५८	<p>ये निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 115/08-09/अपील एवं 52/08-09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-9-09 के विरुद्ध म0प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने, पक्षकार एक होने तथा अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ बहस किए जाने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक ही आदेश से किया जा रहा है।</p> <p>2— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तकों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं।</p> <p>4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः उसे स्थिर रखा जाना चाहिए।</p> <p>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आलोच्य भूमि पर गलत प्रविष्टि करके पी.डब्लू.डी. का नाम दर्ज किया गया और पी.डब्लू.डी. का नाम</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों वंच अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>लिखा होने से एवं लोक निम्नग्रन्थ विभाग के उपयोग में न होने से दिनांक 9.12.96 के आदेश द्वारा कलेक्टर ने दूरसंचार विभाग को वंटित कर दिया गया जिसकी शिकायत होने पर कलेक्टर भिण्ड ने अपने आदेश दिनांक 25.1.99 द्वारा वंटन निरस्त करने के आदेश दिए गए और प्रकरण रिकार्ड दुरस्ती हेतु तहसीलदार को वापिस भेजा गया। कलेक्टर के 25.1.99 के आदेश के विरुद्ध कोई अपील निगरानी नहीं हुए इस कारण उक्त आदेश अंतिम होकर बंधनकारी था जिसकी उपेक्षा करते हुए जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों ने पारित किए हैं उनको अपर आयुक्त ने अपास्त किया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित, न्यायिक और विधिसम्मत होकर प्रक्रिया के अनुसार होने से पुष्टि योग्य है।</p> <p>परिणामस्वरूप यह दोनों निगरानियां निरस्त की जाती हैं तथा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हों।</p>  	



न्यायिकत्वा - माननोय रेखेन्द्र बोडी, संभाग, जवाहाललाल पोठो, उद्धातियर

माननोय
रेखेन्द्र बोडी
संभाग
जवाहाललाल
पोठो
उद्धातियर

1. नरेन्द्र कुमार जैन
2. सतीश जैन
3. प्रमोद कुमार जैन
4. सुकमाल जैन
5. पप्पू जैन उर्फ सुनील जैन
6. महेश जैन उर्फ श्रीलाल जैन
7. प्रेमचन्द्र जैन पुत्रगण स्व. वंशीधर जैन

निवासी - ग्राम ऊमरी तहसील व जिला भिण्ड

8. श्रीमती मीरा जैन पत्नी मदन जैन पुत्र स्व. वंशीधर जैन

निवासी - ग्राम ऊमरी तहसील व जिला भिण्ड

✓३- अगथा कूमारी उमरी उमरी उमरी

✓४- श्रोमतो मोतोरानो धेवा रामेन्द्र कुमार जैन
निवासोगणा ग्राम ऊमरी उमरी उमरी उमरी

- 5- कुण्ठप्पो पुत्रो श्रो रामेन्द्रजैन
- 6- श्रोमतो मोतोरानो धेवा महावोर जैन
- 7- राम्पू 6- नोलेश 7- दिलोप 8- आनंदकुमार
- 11- सेक्षु पोचो पुकारा महावोरप्रसाद जैन
- 12- कुमैना 13- कुण्ठुड्डो पुत्रोगणा-महावोर
प्रसाद जैन
- 14- कुविदटी देवो 15- कुबहिनेया पुत्रोगण
गुलाबपन्द जैन
- 16- कल्याण 17- शोपोलाल 18- आनन्द
पुकारा गुलाब पन्द जैन
- 19- उम्भाष वन्द्र 20- तखतमल 21- असाँक पुकारा
नेमोदंद जैन



१८८८

१८८८

